

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान  
प्रकरण संख्या 59/22 दायरा दिनांक 10.10.2022

पीठासीन अधिकारी - श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

शिवलाल पुत्र हल्लू उम्र 46 वर्ष जाति कोली निवासी निवाडी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान वादी

बनाम

1-मांगीलाल पुत्र हल्लू जाति कोली निवासी निवाडी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

2-रामस्वरूप पुत्र बटरी जाति सहरिया निवासी निवाडी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

3-राजस्थान राज्य जर्ज्य तहसीलदार शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53,188 राज. काश्त. अधि. 1955

अंतिम निर्णय दिनांक- 17.04.2025

उक्त उनवानी वाद को इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.06.2024 से स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी ख.सं. 19 रकबा 2.05 बीघा, ख.सं. 184 रकबा 2.13 बीघा, ख.सं. 217/736 रकबा 7.05 बीघा, ख.सं. 225/737 रकबा 1.19 बीघा कित्ता 4 कुल रकबा 14.02 बीघा ग्राम निवाडी तहसील शाहाबाद में से वादी हिस्सा 2/3 का विभाजन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहाबाद को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। जिसकी पालना में दिनांक 15.04.2025 को तहसीलदार शाहाबाद द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश किया, जिसे वादी ने स्वीकार कर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। तहसीलदार शाहाबाद द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव निम्न प्रकार है-

क.सं.	काश्तकार का नाम	ख.सं.	- रकबा	किस्म	लगान
1-	मांगीलाल पुत्र हल्लू कोम जाटव सा.देह	19	पूर्वी - 0.15	बीघा माल1	0.90
	मांगीलाल का हि.1/3 रहन एसबीबीजे	184	उत्तरी 0.18	बीघा बा.च.	0.27
	समरानिया नामा. नं. 1419	217/736	2.08	बीघा बा.च.	0.72
			पश्चिमी		
		225/737	0.13	बीघा बा.च.	0.20
			पश्चिमी		

कित्ता 4 - कुल रकबा 04.14 बीघा

क.सं.	काश्तकार का नाम	ख.सं.	- रकबा	किस्म	लगान
2-	शिवलाल पुत्र हल्लू कोम जाटव सा.देह	19	पश्चिमी - 01.10	बी0 माल1	1.80
	नामा.नं. 1165 से शिवलाल का हि.1/3	184	दक्षिणी 1.15	बी0 बा.च.	0.53
	रहन एसबीबीजे समरानिया	217/736	4.17	बी0 बा.च.	1.46
	नामा.नं. 1419		पूर्वी		
		225/737	1.06	बीघा बा.च.	0.39
			पूर्वी		

कित्ता 4 - कुल रकबा 09.08 बीघा

10  
17.04.2025  
उपखण्ड अधिकारी  
शाहाबाद जिला बारां (राज.)



अतः तहसीलदार शाहावाद द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर ग्राम निवाडी तहसील शाहावाद स्थित विवादित आराजी ख.सं. 19 रकबा 2.05 बीघा, ख.सं. 184 रकबा 2.13 बीघा, ख.सं. 217/736 रकबा 7.05 बीघा, ख.सं. 225/737 रकबा 1.19 बीघा कित्ता 4 कुल रकबा 14.02 बीघा में से वादी हिस्सा 2/3 का उपरोक्तानुसार अनुसार विभाजन किया जाता है, उपरोक्तानुसार वादी का प्रथक खाता कायम कर तरमीम की जावे। वादी को विभाजित हिस्सा 2/3 पर बाद पैमायश दखल दिया जावे। प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादी के विभाजित हिस्सा कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी नहीं करें। पालनार्थ तहसीलदार शाहावाद को लिखा जावे। अंतिम डिकी पर्चा जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 17.04.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

15  
17.04.2025  
उपसहाय्य अधिकारी  
शाहावाद जिला अदालत (जब.)